

## सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत श्री योगेंद्र प्रसाद पिता श्री गुजर साव निवासी ग्राम: बोचो, थाना: मुफफसील, जिला: हजारीबाग (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 अधिनियम के तहत ग्राम: चमातु, थाना सं: 56 (रैयती) खाता सं. 182, 113 और 183 के अधीन प्लॉट सं. 140, 491, 492, 658, 869/2704 और 779(P); कुल रकबा - 02.00 एकड़ (रैयती) भूमि के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसेस किया गया है।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ वेबसाइट [http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti\\_empl\\_Ind.php](http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_Ind.php) पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर इस सूचना से संबन्धित कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि चमातु, थाना सं: 56 (रैयती) खाता सं. 182, 113 और 183 के अधीन प्लॉट सं. 140, 491, 492, 658, 869/2704 और 779(P); कुल रकबा - 02.00 एकड़ (रैयती) भूमि, जिसे सी बी ए, 1957 अधिनियम के अन्तर्गत अधिग्रहित किया गया है के तहत श्री योगेंद्र प्रसाद पिता श्री गुजर साव निवासी ग्राम: बोचो, थाना: मुफफसील, जिला: हजारीबाग (झारखण्ड) के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

